



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240118
CG-DL-E-09112022-240118

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4985]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944

No. 4985]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5204(अ).—सरकारी परिसर (अनाधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी को सरकार का राजपत्रित अधिकारी अथवा सांविधिक प्राधिकरण के समान रैंक के अधिकारी होने के नाते, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्ति करती है, जो इस तालिका के कॉलम (2) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट सरकारी परिसरों के संबंध में अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और संपदा अधिकारी को दिए गए दायित्वों को निष्पादन करेगा:-

तालिका

अधिकारी का पदनाम	सरकारी परिसर की श्रेणियां और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा
(1)	(2)
1. श्री इमान अली मंडल, मुख्य परिचालन अधिकारी एवं उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. का	सभी कार्यालय, परिसर, अतिथि गृह, गोदाम, आवासीय क्वार्टर/आवास, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि., 4, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता द्वारा लीज पर दी गई अथवा लीज पर ली गई, स्वामित्व वाली, कृषि भूमि सहित भूमि, जिसमें मिल परिसरों के भीतर अथवा बाहर स्वामित्व वाले लीज पर दिए गए अथवा लीज पर

कार्यालय चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, द्वितीय तल, 4 एन.एस.रोड, कोलकाता-700001	लिए गए कार्यालय परिसर, खुदरा दुकान, गोदाम कार्यशाला, कारखाने, आवासीय क्वार्टर सहित शामिल हैं।
--	--

[फा.सं.जे-19/1/2022-पटसन अनुभाग]

प्राजक्ता एल.वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

(Jute Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 5204(E).—In exercise of the power conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the officer mentioned in Column no. (1) of table below, being a Gazetted Officer of the Government or Officers of equivalent rank of the Statutory Authority to be the Estate Officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the Act, within the local limits of his respective jurisdiction, in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column (2) of the Table:-

TABLE

Designation of Officer	Categories of pubic Premises and local limit of Jurisdiction
(1)	(2)
1. Shri Iman Ali Mandal, Chief Operating Officer & Dy. General Manager O/o National Jute Manufactures Corporation Ltd., Chartered Bank Building, 2 nd floor, 4 N.S. Road, Kolkata-700001	All offices, premises, guest houses, godowns, residential quarters/ accommodations, land including agricultural land owned, leased or held on lease by the National Jute Manufactures Corporation Ltd., 4 Netaji Subhas Road, Kolkata together with their offices, premises, godowns, workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mills premises.

[F. No. J-19/1/2022-Jute Section]

PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.